बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांकः– 06:06:22:01:2013 दावा/दिनांक :

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण)
निगम मुख्यालय,
पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय :– प्रमादी राईस मिलरों से बकाये सी0एम0आर0 की वसूलनीय राशि के साथ उस पर ब्याज की राशि का दावा दायर करने के संबंध में।

प्रसंग :– निगम मुख्यालय का कार्यालय आदेश ज्ञापांक–12588 दिनांक– 07.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका ने अपने पत्रांक–1787 दिनांक–03.11.2018 एवं पत्रांक–1803 दिनांक–16.11.2018 द्वारा सूचित किया है कि विभिन्न प्रमादी राईस मिलरों द्वारा नीलामपत्रवाद में सी0एम0आर0 की पूर्ण राशि जमा कर दी गयी है तथा नीलामपत्र पदाधिकारी द्वारा प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वादों को समाप्त करने हेतु अनुशंसा की मांग की जा रही है। जिला प्रबंधक, बाँका द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध दर्ज नीलामपत्र वदों में ब्याज की राशि शामिल नहीं है।

विदित है कि निगम निदेशक पर्षद की दिनांक–27.09.2018 को हुई 154वीं0 बैठक के मद सं0–153:25 में लिए गये निर्णय एवं विधिक परामर्श के आलोक में प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध वकाये सी0एम0आर0 की राशि की वसूली हेतु दायर नीलामपत्र वाद में सी0एम0आर0 जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से नीलामपत्र वाद दायर होने की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना करने एवं प्रमादी मिलरों के विरूद्ध सी0एम0आर0 की मूल राशि के साथ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि हेतु दावा दायर करने की स्वीकृति संबंधी प्रासंगिक कार्यालय आदेश सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में मुख्यालय पत्रांक–15062 दिनांक–29.12.2016, 15150 दिनांक–31.12.2016 एवं पत्रांक–285 दिनांक–11.01.2017 द्वारा भी सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनः निदेश है कि यदि प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध सी0एम0आर0 की राशि वसूली हेतु दायर नीलामपत्र वाद में ब्याज राशि का दावा दायर नहीं किया गया हो, तो निगम निदेशक पर्षद का निर्णय एवं प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में प्रासंगिक कार्यालय आदेश के अनुसार ब्याज राशि का गणना कर दायर नीलामपत्र वाद में ब्याज राशि का दावा (Requisition) तुरन्त दायर करना सूनिश्चित करें। इसी प्रकार प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वाद में यदि ब्याज राशि का दावा नहीं किया गया हो और संबंधित प्रमादी राईस मिलर द्वारा सी0एम0आर0 की मूल राशि जमा करने के पश्चात् नीलामपत्र वाद निष्पादित कर दिया गया हो, तो ऐसे मामले में भी प्रासंगिक कार्यालय आदेश के अनुसार ब्याज की गणना कर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि हेतु पूर्व से दायर नीलामपत्र वाद में Requisition दायर करते हुए ब्याज राशि के लिए संबंधित प्रमादी राईस मिलर को नोटिस निर्गत करने हेतु नीलामपत्र पदाधिकारी से अनुरोध करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे मामले में ब्याज राशि के लिए नीलामपत्र पदाधिकारी द्वारा अलग से नीलामपत्र वाद दायर करने हेतु निदेश दिया जाता है, तो प्रासंगिक कार्यालय आदेश के अनुसार ब्याज की गणना कर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि हेतु संबंधित प्रमादी राईस मिलर के विरूद्ध अलग से नीलामपत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
मुख्य महाप्रबंधक (ज0वि0),
निगम मुख्यालय,
पटना।

ज्ञापांक– 06:06:22:01:2013 1928 दावा/दिनांक :13/1/19

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (ज0वि0),
निगम मुख्यालय,
पटना।